

30-10-17

आवेदिका अनु०।

आवेदिका की ओर से कोई अधिवक्ता भी  
उप० नहीं।

अनावेदक अनु०।

अनावेदक की ओर से कोई अधिवक्ता भी  
उप० नहीं।

आवेदिका एवं उसके अधिवक्ता की  
न्यायालय कक्ष के बाहर बार-बार पुकार लगवाई गयी परन्तु  
कोई उप० नहीं हुआ।

यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण आवेदिका  
साक्ष्य हेतु नियत है। आवेदिका द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत  
नहीं की गयी है। आज दिनांक को आवेदिका अनु० है।  
आवेदिका की ओर से उसके पक्ष समर्थन हेतु कोई अधिवक्ता  
भी उपस्थित नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका प्रकरण  
में आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है। अतः प्रस्तुत  
आवेदन आवेदिका की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण  
अभिलेखार में भेजा जावे।

सही / -  
(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
जेएमएफसी, गौहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)